राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/सडक निर्माण /2019–20/ 21310 दि. 9/8/2021

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय : सडक निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 26313–20 दि. 28.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,उदयपुर के पत्रांक 5030 दिनांक 18.12.2019 के साथ संलग्न अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड खेरवाडा का पत्रांक 255 दिनांक 11.07.2019 से प्राप्त निम्नलिखित कार्य का तकमीना एवं तकनिकी स्वीकृति अनुसार डामरीकरण सडक निर्माण कार्य की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में विभागीय आदेश परिपत्र कमांक 9609–34 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कन्टिजेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए जिसके अन्तर्गत 0.25 आयुक्तालय के खाते में मोनेटरिंग,निरीक्षण एवं वाहन हेतु आरक्षित रखते हुए निम्नानुसार सडक निर्माण कार्य की कॉलम संख्या 3 अनुसार राशि 83.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी–सार्वजनिक निर्माण विभाग **(राशि लाखों में)**

क्र.स.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किशत देय राशि	0.25% कन्टिजेन्सी चार्ज राशि आयुक्त खाते में	प्रथम किशत हस्तान्तरण योग्य राशि(4–5)
		क./दि.	राशि			
0	1	2	3	4	5	6
1	डामरीकरण सड़क निर्माण कार्य रजोल मुख्य मार्ग से बामनवाडा कि.मी. 0/0 से 2/60 तक	27/ 2019-20	83.05	66.44	0.18	66.26

उपरोक्त कार्य की कुल राशि 83.05 लाख के विरूद्व प्रथम किशत की (80 प्रतिशत) राशि 66.44 लाख रू. की व्यवस्था आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या–05/2020–21 दिनांक 14.07.2020 राशि 433.05 लाख मे से कॉलम संख्या 6 अनुसार रू. 66.26 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को देय होगी एवं कॉलम संख्या 5 अनुसार राशि 0.18 लाख आयुक्त कार्यालय के खाते जमा होगी शेष राशि कार्य की प्रगति एवं हस्तान्तरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

कार्यो का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे। शेष राशि कार्यो की प्रगति एवं हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्वि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. राशि का व्यय तकनिकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा मे सम्पादित किया जावें। तकनीकी एस्टीमेट एवं स्वीकृति के आधार पर विभाग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश एवं नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पुर्वानुमति से नहीं किया जावे। **कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावें।**
5. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावें जिन्हें विभागीय वेब–साईड पर अपलोड किया जा सकें।
6. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी एवं कार्यो के उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर एवं समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

भवदीय

(प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S.
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/ सडक निर्माण /2019–20/21310-21 दि. 9/8/2021

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव,माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, उदयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (जोन उदयपुर) सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत उदयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिशिचित करें।
7. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड खेरवाडा जिला उदयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया कार्यो का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिशिचित करें।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कार्य की कुल राशि 83.05 लाख के विरूद्व कॉलम संख्या 6 अनुसार 66.26 लाख रू. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को हस्तान्तरित करावें एवं कॉलम संख्या 5 अनुसार राशि 0. 18 लाख आयुक्त कार्यालय में कार्यो की मॉनिटरिंग मद में आरक्षित रखी जावें। स्वीकृति सं. 05/2020–21 दिनांक 14.07.2020 राशि रू. 433.05 लाख में से राशि हस्तांतरित होगी।
9. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in ;Website www.tad.rajasthan.gov.in